न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 89/2021

उनवान

हरकरण पुत्र रामचन्द्र माता नौसर उर्फ नोसी पुत्री दयाल जाति जाट नि० रूपपुरा, भिनाय, अजमेर

— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1 प्रेम पत्नी भागचन्द ,
2. सीता पुत्री भागचन्द जाति जाट नि० दिलवाडा, नसीराबाद,
3. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

— अप्रार्थीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री मौ. इकबाल

4. तीजी पुत्री दयाल जाति जाट नि० दिलवाडा, नसीराबाद,
5. शांति पुत्री रामचन्द्र माता नौसर उर्फ नोसी पुत्री दयाल जाति जाट नि. रूपपुरा, भिनाय, अजमेर,
6. बाबूलाल,
7. बालूराम,
8. रिद्वकरण,
9. कमला,
10. सीता,
11. विष्णु पि० सूरजकरण माता सायरी पुत्री दयाल समस्त जाति जाट नि. रतनपुरा, टांटोटी, अजमेर

— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– 4 से 11 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 16.8.24

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा व बारापत्थर में प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पिता की कब्जेशुदा आराजी स्थित है। उक्त आराजी के वंकिंग खसरा नम्बर 695 मिन, 659 मिन, 660, 714, 713, 718, 712 मिन, 722, 119 मिन, 1192 मिन, 1191 मिन, 1190, 1189 मिन, 1353, 1351 मिन, 659 मिन, 667, 1185, 1376, 1106, 1101, 689, 690, 300 मिन, 301, 302 मिन व हाल खसरा नम्बर 779/0.20, 788/0.18, 699/0.03, 694/0.18, 777/0.19, 789/0.25, 790/0.19, 791/0.01, 792/0.60, 884/0.32, 885/[illegible], 887/0.35, 888/0.03, 889/0.08, 926/0.30, 927/0.08, 935/[illegible] 14[illegible]/0.45, 1307/0.32, 1310/0.30, 723/0.09, 724/0.23, 351/0.09, 352/0.26 [illegible]/0.01, 354/0.08, 355/0.06, 356/0.08, 700/1806 रकबा 0.03, 718/1645 रकबा 0.08 व 888/1660 रकबा 0.02 [illegible] व नाना दयाल पुत्र मा[illegible]से की उपरोक्त आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

थी। वंर्किग जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 के खाता नम्बर 82/85 में नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 11.03.91 को दयाल पुत्र मादू के फौत होने पर विरासत नामानतकरण द्वारा उक्त आराजी केवल भागचन्द पुत्र दयाल (अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता) के नाम दर्ज कर दी गयी। जबकि उक्त आराजी में प्रार्थी का भी हक व हिस्सा निहित है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 के खाता नम्बर 82/85 में नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 11.03.91 को दयाल पुत्र मादू के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण द्वारा उक्त आराजी भागचन्द पुत्र दयाल के नाम दर्ज कर दी गयी जो सही है। आराजी मुतनाजा के पुश्तैनी होने का कथन गलत है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तेनी है जो अप्रार्थीगण के पिता/पति को जरियें विरासत हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुयी है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी को कोई हक व हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा शजरा भी पेश नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार ग्राम दिलवाडा की आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख के खाता संख्या 217/200, 213/197, 15/16, 385/348 ग्राम वारापत्थर के खाता संख्या 161/159 में भागचन्द पुत्र दयाल के नाम व ग्राम दिलवाडा के खाता संख्या 216/199 ग्राम वारापत्थर के खाता संख्या 157/156 में तीजी पुत्री दयाल, नौसर पुत्री दयाल, भागचन्द पुत्र दयाल, सायरी पुत्री दयाल के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में दयाल पुत्र मादू व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 11.03.91 के अनुसार उक्त आराजी जरियें विरासत भागचन्द पुत्र दयाल के नाम दर्ज हुयी। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी विरासत दर्ज करते समय दयाल की पुत्रियों के नाम दर्ज नही की गयी। तथा प्रार्थी दयाल की पुत्री नौसर का पुत्र होने के कारण आराजी मुतनाजा पर उसका भी हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा के पुश्तैनी होने का कथन गलत है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तेनी है जो अप्रार्थीगण के पिता/पति को जरियें विरासत हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुयी है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी को कोई हक व हिस्सा निहित नही है। किन्तु उनके द्वारा अपने जवाब में आराजी मुतनाजा को पुश्तैनी माना गया है तथा राजस्व अभिलेख से भी दावाकृत सम्पदा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की स्व अर्जित सिद्व नही होती है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा शजरा पेश नही किया है। किन्तु आराजी मुतनाजा में से ग्राम दिलवाडा के खाता संख्या 216/19[illegible] बारापत्थर के खाता संख्या 157/156 किता 5 रकबा 0.3120 में तीजी पुत्री [illegible] सर पुत्री दयाल, भागचन्द पुत्र दयाल, सायरी पुत्री दयाल के ना[illegible] प्रार्थी की माता का नाम दयाल की विरासत से दर्ज [illegible] प्रार्थी की माता नौसर दयाल की पुत्री सिद्व होती है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में नौसर कादयाल की पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

होने का खण्डन नही किया है। दावाकृत सम्पदा पुश्तैनी होने से उक्त आराजी पर दयाल की पुत्रियों का भी हक व अधिकार निहित है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्ध होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी की पुश्तैनी है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। आराजी मुतनाजा में से आंशिक आराजी का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता के नाम दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेख व मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता व अपूरणीय क्षति की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिरिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण आवश्यक है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम दिलवाडा व बारापत्थर की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को ताफैसला मूल वाद जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:08 IST
Reason: SelfAttested